प्रेस विज्ञप्ति

07.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स ओएस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जिसके लाभकारी मालिक गौतम थापर हैं, से संबंधित 78.18 करोड़ रुपये कीमत की 52.11 एकड़ भूमि में फैली 24 अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अवंता रियल्टी लिमिटेड, गौतम थापर और अन्य के खिलाफ 2017 से 2019 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के डायवर्जन/गबन के लिए धोखाधड़ी, छल, आपराधिक षडयंत्र और जालसाजी करने तथा यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये के नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2018 में फर्जी ओएंडएम समझौतों के आधार पर यस बैंक लिमिटेड से 514.27 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। इस ऋण राशि में से 14.11 करोड़ रुपये की राशि यस बैंक ने ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में रख ली और शेष 500.11 करोड़ रुपये की राशि मेसर्स ओबीपीएल ने फर्जी ओएंडएम समझौतों की आड़ में अपनी सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी। चूंकि उक्त ऋण संदेहास्पद परिस्थितियों में दिया गया था, इसलिए अंततः यह बैंक के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया और 500.11 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 47.75 करोड़ रुपये की राशि ही वसूल की जा सकी और 466.51 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) वसूल नहीं की जा सकी।

इस मामले में गौतम थापर और राणा कपूर समेत 18 लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली में दायर की जा चुकी है। गौतम थापर को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।